विषय:- धारा 4 का कार्यान्वयन-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन लोक प्राधिकरण के प्राधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन के लिए, आरईसी से संबंधित अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं: -

प्रश्न	**उत्तर**
1. लोक प्राधिकरण की आपत्ति/उद्देश्य	यह सूचना आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in - > आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार पुस्तिका -> मद संख्या 4 (ख) (i) के रूप में संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण।
2. कृपया संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का विवरण प्रदान करें।	यह सूचना आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर देखी जा सकती है। - > आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार पुस्तिका -> मद संख्या 4 (ख) (ii) के रूप में संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण।
3. कृपया लोक प्राधिकरण द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों, विनियमों, अनुदेशों, नियमावली तथा अभिलेखों की सूची निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उपलब्ध कराएं। यह प्रारूप प्रत्येक प्रकार के दस्तावेजों के लिए भरना होगा।	**1. आर.ई.सी. का मानव संसाधन विभाग :** - क) आरईसी सेवा नियम ख) आचरण, अनुशासन और अपील नियम ग) शक्तियों का प्रत्यायोजन घ) नई नीति का निर्माण अथवा मौजूदा नीति/नियमों में संशोधन इसके सामान्य परिचालन के अलावा आरईसी इंट्रानेट पर अपलोड किया जाता है। यह जानकारी नियमों और विनियमों के पोर्टल के तहत आरईसी इंट्रानेट पर देखी जा सकती है
	2. विभाग का पारेषण और वितरण:- क) पारेषण एवं वितरण के अंतर्गत वित्तपोषित स्कीमों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ख) ब्याज दर परिपत्र और योजना प्रसंस्करण, संवितरण, सुरक्षा, चुकौती, ऋण के नियम और शर्तें आदि से संबंधित अन्य ऋण नीति परिपत्र। ग) मानक ऋण दस्तावेज। घ) सीईआरसी/एसईआरसी द्वारा जारी आदेश।
	3. **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** क) राज्यों में संयुक्त परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देश जिनमें शेष गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है। ख) विद्युतीकृत गांवों के लिए परियोजनाओं के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश ग) 100% ग्रामीण विद्युतीकरण स्तर वाले राज्य घ) परियोजना क्षेत्रों में विद्युतीकृत गांवों के लिए पूरक परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं के निर्माण के लिए दिशानिर्देश। ङ) माल सेवाओं की खरीद और आरईसी में संशोधन के लिए दिशानिर्देश च) निर्दिष्टीकरण और निर्माण मानक

	यह सूचना आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर देखी जा सकती है। -> सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हैंडबुक -> नियमावली/दिशानिर्देशों आदि का विवरण।
	4. निर्माण - (I एवं II) विभाग :- क) निजी आईपीपी के लिए ऋण आवेदन प्रपत्र ख) सरकारी/सार्वजनिक कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों के लिए ऋण आवेदन प्रपत्र
	5. निगरानी विभाग :- क) पारेषण एवं वितरण योजनाओं और उत्पादन योजनाओं की निगरानी के लिए दिशानिर्देश। ख) आरईसी निर्माण मानकों और विनिर्देशों (इलेक्ट्रॉनिक रूप में)।
	6. कंपनी सचिवालय विभाग: – क) मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वार्षिक रिपोर्ट ख) ऋण नीति परिपत्र ग) आईएसओ एपेक्स क्वालिटी नियमावली घ) लिस्टिंग समझौता ङ) आरईसी में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति च) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी की उचित व्यवहार संहिता छ) बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता ज) प्रबंधन झ) आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में अंतरंगी लेन-देन की रोकथाम के लिए संहिता i) शक्तियों का प्रत्यायोजन ञ) आरईसी में व्हिसल ब्लोअर नीति ट) शेयरधारकों के विवरण का रिकॉर्ड
	7. ऋण और वसूली विभाग: - क) ऋण नीति परिपत्र ख) वसूली दिशानिर्देश ग) आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंड घ) अल्पावधि ऋण मूल्यांकन नीति।
	8. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग: - क) आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली ख) वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम
	9. सतर्कता विभाग: - सतर्कता विभाग सीवीसी और/या विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालित/जारी किए जा रहे नियमों, विनियमों, अनुदेशों, नियमावली आदि का पालन करता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा परिचालित/जारी किए जा रहे नियम जनता के लिए इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जो आरईसी की वेबसाइट से भी जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता प्रभाग आरईसी (सीडीए) नियमावली में निहित नियमों, विनियमों, अनुदेशों का भी अनुपालन करता है।
	10. विधि विभाग: – क) निगम ऋण दस्तावोजों का संरक्षक है। ख) विधि प्रभाग निगम के नियमों, विनियमों और निर्देशों का पालन करता है। ग) नियमावली केवल आंतरिक उपयोग के लिए है।
	11. निगम योजना विभाग :- आरईसी और विद्युत मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सभी मूल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ के लिए सीपी विभाग में रखे गए हैं।
	12. विकेंद्रीकृत वितरण उत्पादन विभाग:-

	विद्युत मंत्रालय ने डीडीजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन, डीपीआर तैयार करने, खरीद दिशा-निर्देशों आदि के लिए डीडीजी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह सूचना आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर देखी जा सकती है।
	13. नवीकरणीय ऊर्जा विभाग:- क) आवेदन पत्र सहित उधारकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश ख) नवीकरणीय ऊर्जा, उधारकर्ता रेटिंग मैट्रिक्स, परियोजना रेटिंग मैट्रिक्स, वित्त पोषण मानदंडों के परियोजना मूल्यांकन दिशानिर्देश/पूर्व-स्वीकृति दिशानिर्देश। ग) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वीकृति पश्चात दिशानिर्देश, मानक, प्रलेखन आदि का कार्यान्वयन किया गया है। घ) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रिपोर्ट।
	14. आरडीएसएस विभाग:- क**)** संशोधित वितरण के लिए परिचालन दिशानिर्देश सेक्टर योजना ख**)** आरडीएसएस के तहत निम्नलिखित के लिए संशोधनों के साथ मानक बोली दस्तावेज। यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर देखी जा सकती है।
4. क्या नीतियों के निर्माण के लिए जनता या उसके प्रतिनिधियों के परामर्श/ भागीदारी लेने का कोई प्रावधान है, यदि ऐसा है।	मानव संसाधन नीतियां आम तौर पर संगठन की आवश्यकताओं और कर्मचारियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं जो अंततः ऐसी नीतियों से प्रभावित होती हैं। क्षतिपूर्ति संरचनाओं और इसकी आवधिक समीक्षा तथा अन्य सेवा शर्तों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए आरईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन और आरईसी कर्मचारी संघ जैसे कर्मचारी संघों के साथ औपचारिक रूप से परामर्श करने के लिए आवश्यक प्रावधान मौजूद हैं।
	गैर-कार्यपालकों के संबंध में, प्रतिपूर्ति के निर्धारण की प्रक्रिया
कृपया ऐसी नीतियों का विवरण प्रदान करें।	संरचना और आवधिक समीक्षा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन यानी आरईसी यूनियन आंतरिक मामलों के साथ सामूहिक सौदेबाजी और निपटान की प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जनता या उसके प्रतिनिधियों के सामान्य परामर्श/भागीदारी की तलाश करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in > सूचना का अधिकार -> हैंड बुक पर आरटीआई अधिनियम -> किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है, मद संख्या 4 (ख) (vii)

5. आधिकारिक दस्तावेजों की जानकारी देने के लिए नीचे दिए गए फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। उस स्थान का भी उल्लेख करें जहां दस्तावेज उपलब्ध हैं अर्थात सचिवीय स्तर पर
(कृपया "अन्य" लिखने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

1. मानव संसाधन विभाग
पीआईओ (आरटीआई), आरईसी को आवेदन संबोधित करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुछ दस्तावेज आरईसी की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं।

2. जेनेरेशन विभाग –I एवं II

क्रमांक	दस्तावेजों की श्रेणी	दस्तावेज का नाम और उसके निर्देश	के नियंत्रण में आयोजित
1.	प्रतिरोध	रिकॉर्ड रखरखाव के लिए	मूल्यांकन अधिकारी
2.	सरकारी नियमावली	विभाग के भीतर संबंधित कार्मिकों के बीच परिचालित	मूल्यांकन अधिकारी
3.	फ़ाइलें	प्रसंस्करण फाइलें और विविध मुद्दों से संबंधित	मूल्यांकन अधिकारी
4.	समझौते	विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित (यदि कोई हो)	

3. ऋण और वसूली- वित्त
चूंकि समय-समय पर जारी किए गए ऋण नीति परिपत्रों के अनुसार ऋण और वसूली अनुभाग में स्वीकृति पश्चात कार्यकलाप किए जाते हैं। निगम के समझौतों आदि का निष्पादन संबंधित संचालन प्रभागों, उत्पादन प्रभागों, परियोजना कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

4. **पारेषण और वितरण विभाजन**
आरईसी द्वारा प्रत्येक परियोजना फाइल वित्त जिसमें उधारकर्ता का अनुरोध, परियोजना कार्यालयों और निगमित कार्यालय का मूल्यांकन-I नोट, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन और जारी किए गए नियमों और शर्तों के साथ स्वीकृति पत्र शामिल होता है, को स्वीकृत डेस्क के साथ टी एंड डी विभाग में रिकॉर्ड में रखा जाता है। मंजूरी डेस्क का नेतृत्व डीजीएम/सीएम स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें गैर-कार्यपालक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

5. पीएमडी विभाग
सरकारी योजनाओं जैसे डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, आरडीएसएस, एनईएफ की जानकारी पीआईओ (आरटीआई), आरईसी को आवेदन भेजकर प्राप्त की जा सकती है। कुछ दस्तावेज आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी अपलोड किए गए हैं।

6. विधि विभाग

क्रमांक	**दस्तावेजों की श्रेणी**	**दस्तावेज़ का नाम और उसके निर्देश**	**प्राप्त करने की प्रक्रिया दस्ता वेज़**	**के नियंत्रण में आयोजित**
1.	विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण से संबंधित	राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं को ऋण के वित्तपोषण से संबंधित दस्तावेज	विधि विभाग दस्तावेजों का संरक्षक है और इसलिए	विधि विभाग

	वित्तपोषण और सुरक्षा दस्तावेज		निष्पादन के बाद मूल दस्तावेज़ विधि विभाग में रखा जाता है	
2.	समझौता ज्ञापन	राज्य सरकार की विभिन्न बिजली/बोर्ड/कंपनियां के साथ समझौता ज्ञापन	मूल/प्रतिलिपि रखी जाती है	विधि विभाग

7. विकेंद्रीकृत वितरित विभाग
पीआईओ (आरटीआई) को आवेदन भेजकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुछ दस्तावेज आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी अपलोड किए गए हैं

8. निगम योजना विभाग
सभी मूल हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ के लिए सीपी विभाग में रखे गए हैं।

9. कंपनी सचिवीय विभाग
पीआईओ (आरटीआई), आरईसी को आवेदन संबोधित करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है

10. प्रशासन विभाग
पीआईओ (आरटीआई), आरईसी को आवेदन संबोधित करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है

11. वित्तपोषण संसाधन विभाग
पीआईओ (आरटीआई), आरईसी को आवेदन संबोधित करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुछ दस्तावेज आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी अपलोड किए गए हैं।

12. निगम संचार विभाग
सभी रिकॉर्ड फाइलों और रजिस्टरों के रूप में रखे जाते हैं जिन्हें डिवीजन में डीलिंग अधिकारियों के नियंत्रण में रखा जाता है

13. सतर्कता प्रभाग
केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए जा रहे नियम जनता के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जो आरईसी की वेबसाइट से भी जुड़ी हुई है www.recindia.nic.in

6. कृपया दिए गए प्रारूप में सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित बोर्ड, काउंसेल और अन्य निकायों के बारे में जानकारी प्रदान करें	**31 मई, 2025 तक निदेशक मंडल की संरचना नीचे दी गई है:**

क्रमांक	नाम	पद	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	06817799	22 अप्रैल 2025
2.	श्री विजय कुमार सिंह	निदेशक (परियोजना)	02772733	15 जुलाई 2022
3.	श्री हर्ष बवेजा	निदेशक (वित्त)	09769272	14 मई 2024
4.	श्री शशांक मिश्रा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	08364288	21 अगस्त 2023
5.	श्री मनोज शर्मा	पीएफसी नामित निदेशक	06822395	11 जुलाई 2023
6.	डॉ. गंभीर सिंह	स्वतंत्र निदेशक	02003319	17 अप्रैल 2025
7.	डॉ. (श्रीमती) दुर्गेश नंदिनी	स्वतंत्र निदेशक	09398540	17 अप्रैल 2025
8.	श्री नारायणन तिरुपति	स्वतंत्र निदेशक	10063245	6 मार्च 2023

बोर्ड की समितियाँ:

निदेशक मंडल में निम्नलिखित समितियाँ हैं*:

1. लेखापरीक्षा समिति।
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति।
3. हितधारक संबंध समिति।
4. जोखिम प्रबंधन समिति।
5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति।
6. अधिशेष निधियों के निवेश/तैनाती के लिए समिति।
7. आस्ति देयता समिति
8. आईटी रणनीति समिति।

<table>
<tr><td>7. विस्तार विभागीय अपीलीय प्राधिकरण/लोक सूचना अधिकारी/ और सहायक लोक सूचना अधिकारी।
कॉपोरेट कार्यालय:</td><td>

विभागीय अपीलीय प्राधिकारी:

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	कार्यालय का पता
1.	श्री विनय कुमार केसरवानी, (महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष एवं विधि)	आरईसी लिमिटेड, आरईसी वैश्विक मुख्यालय, आई -4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा , 122001 टेलीफोन नंबर : 0124-444-1300

लोक सूचना अधिकारी:

	नाम एवं पदनाम	कार्यालय का पता
2.	श्री राजेश्वर वालाबोजू (उप महाप्रबंधक, विधि)	आरईसी लिमिटेड, आरईसी वैश्विक मुख्यालय, आई -4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा , 122001 टेलीफोन नंबर : 0124-444-1300

सहायक लोक सूचना अधिकारी:

	नाम एवं पदनाम	कार्यालय का पता
3.	श्री लक्ष्य राठौड़, (सहायक प्रबंधक विधि)	आरईसी लिमिटेड, आरईसी वैश्विक मुख्यालय, आई -4, सेक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा , 122001 टेलीफोन नंबर : 0124-444-1300

</td></tr>
<tr><td>8. विभिन्न मामलों के लिए निर्णय लेने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है।</td><td>निदेशक मंडल निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आरईसी को कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित करता है जो निष्पादन स्तर पर शक्तियों को आगे उप-प्रत्यायोजित करते हैं। तदनुसार, शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार विषय-वस्तु को संबंधित सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>9. निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर पहुंचने के लिए प्रलेखित प्रक्रिया/मैं/निर्धारित प्रक्रिया/परिभाषित मानदंड/नियम क्या हैं।</td><td>निदेशक मंडल निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी को कतिपय शक्तियां प्रत्यायोजित करता है जो निर्णय लेते समय निष्पादन स्तर पर शक्तियों का और अधिक उप-प्रत्यायोजन करते हैं, युक्तिसंगत विश्लेषण करते हैं जिससे विकल्प उत्पन्न होता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने और निगम की आवश्यकता के अनुरूप सर्वोत्तम विकल्प चुनने के बाद निर्णय लिया जाता है।</td></tr>
<tr><td>10. जनता को निर्णय की सूचना देने की क्या व्यवस्था है</td><td>सभी महत्वपूर्ण आधिकारिक संचार अर्थात निविदाएं, नोटिस, ब्याज दरें आदि कंपनी की वेबसाइट अर्थात " www.recindia.nic.in " पर पोस्ट किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td>11. विभिन्न स्तरों पर वे अधिकारी कौन हैं जिनकी राय निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए मांगी जाती है?</td><td>निदेशक मंडल निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी को कतिपय शक्तियां प्रत्यायोजित करता है जो निष्पादन स्तर पर शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन करते हैं, तदनुसार शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के लिए विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है।</td></tr>
<tr><td>12. निर्णय की जांच करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है</td><td>शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रत्येक कार्य/कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी प्रदान करता है और इसलिए उसे विषय वस्तु पर निर्णय लेने का अधिकार है। निर्णय लेने से पहले वित्तीय/कानूनी पुनरीक्षण किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>13. कृपया महत्वपूर्ण मामलों के लिए प्रारूप</td><td>मानव संसाधन विभाग</td></tr>
</table>

में अलग से जानकारी प्रदान करें जिन पर लोक प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है	शक्तियों का प्रत्यायोजन सक्षम प्राधिकारी को प्रत्येक कार्य/कार्य के लिए प्रदान करता है जिसे अधिकार प्राप्त है, जिसे विषय वस्तु पर निर्णय लेने का अधिकार है। इन मुद्दों पर निर्णय लेते समय विषय-वस्तु को शासित करने वाले दिशा-निर्देशों पर यथोचित विचार किया जाता है। **पारेषण और वितरण विभाग** जिस विषय पर निर्णय लिया जाना है, विभिन्न श्रेणियों की योजनाओं के लिए दिशानिर्देश/निदेशक, यदि कोई परिचालन दिशानिर्देश/नीति परिपत्र सक्षम प्राधिकारी को इसके अनुमोदन के लिए परिभाषित करते हैं। किसी परियोजना के प्रलेखन और उसके निष्पादन के दौरान विभिन्न अनुमोदन/छूट, यदि आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ली जाती है **सामान्य विभाग** लोक प्राधिकरण द्वारा जिन महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लिया जाता है, वे निम्नानुसार हैं: - क) वित्तपोषण मानदंड- उत्पादन परियोजना के लिए प्रवेश मूल्यांकन दिशानिर्देश। ख)) आरईसी लिमिटेड का उचित अभ्यास कोड, ग) ऋण नीति परिपत्र। घ) घ) प्रचलित प्रथा महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय समय-समय पर जारी शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार लिया जाता है **विधि विभाग** शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय।
14. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	यह सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार-> पुस्तिका पर देखी जा सकती है। मद संख्या 4 (ख) (ix) के रूप में अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका
15. कृपया दिए गए प्रारूप में विभिन्न गतिविधियों के लिए बजट के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करें।	यह सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार-> पुस्तिका पर देखी जा सकती है। अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं के विवरण शामिल हैं, प्रस्तावित व्यय और मद 4 (ख) (xi) के रूप में किए गए संवितरण पर रिपोर्ट
16. सब्सिडी प्रोग्राम के निष्पादन का तरीका।	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परियोजनाएं, जिनमें सब्सिडी शामिल है, विद्युत मंत्रालय में स्थित हैं, निगरानी समिति, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं और परियोजनाएं संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार -आरटीआई अधिनियम के तहत > हैंड बुक पर देखी जा सकती है। -> सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका जिसमें आवंटित राशि और मद संख्या 4 (ख) (xii) जैसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है।
17. रियायतों, अनुमति या प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं के विवरण। कृपया दिए गए प्रारूप के अनुसार जानकारी प्रदान करें।	यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार -> आरटीआई अधिनियम के तहत हैंड बुक पर देखी जा सकती है। -> रियायतों के प्राप्तकर्ताओं के विवरण, मद संख्या 4 (ख) (xiii) के रूप में इसके द्वारा दिए गए प्राधिकरण की अनुमति
18. कृपया विभाग द्वारा निम्नलिखित के निष्पादन के लिए निर्धारित मानदंडों/ मानकों / विभिन्न गतिविधियां / कार्यक्रम	यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार-> आरटीआई अधिनियम के तहत हैंड बुक पर देखी जा सकती है>।

का विवरण प्रदान करें ।	
	आरटीआई अधिनियम, - अपने कार्य के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंडों को एक मद संख्या 4 (ख) (iv) > है।
19. कृपया विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी का विवरण प्रदान करें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है	यह सूचना सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार-> हैंड बुक पर देखी जा सकती है>। इसके द्वारा मद संख्या 4 (ख) (xiv) के रूप में निर्धारित मानदंड।
20. साधन, जनता के लिए उपलब्ध सुविधा की विधियाँ जो विभाग द्वारा सूचना के प्रसार के लिए अपनाई जाती हैं।	जनता निम्नलिखित के माध्यम से संगठन के बारे में सूचना प्राप्त कर सकती है:- क) आरईसी वेबसाइट " www.recindia.nic.in " ख) आरईसी वार्षिक रिपोर्ट जो सभी शेयरधारकों को उपलब्ध कराई जाती है। ग) कोर-IV में आरईसी के कार्यालय के भूतल पर स्थित "क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं" रिसेप्शन काउंटर का आकलन करके, स्कोप परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली। घ) इसके अलावा, निगम प्रत्येक तिमाही/वर्ष में प्रमुख समाचार पत्रों में वित्तीय परिणाम का विवरण और प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष के भाषण का विवरण प्रकाशित करता है, जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है।
21. लोक प्राधिकारी द्वारा जनता को दिए गए प्रशिक्षण के संबंध में।	संगठन द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण का दायरा आम तौर पर निगम के कर्मचारियों से संबंधित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम मुझे संगठनात्मक आवश्यकताओं और व्यक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर डिजाइन और आयोजित किया जाता है ताकि कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम बनाया जा सके।
22. ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जा सकता है।	वर्ष 2018-19 के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 25 (3) के तहत वार्षिक आरटीआई रिपोर्ट से संबंधित जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार-> आरटीआई अधिनियम के तहत हैंड बुक पर देखी जा सकती है>।
23. छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची (गोपनीय)	यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार-> हैंड बुक पर आरटीआई अधिनियम के तहत देखी जा सकती है। -> मद संख्या 4 (ख) (xviii) में उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण।
24. अधिप्राप्ति/बोली अधिनिर्णयों के अधिक स्वतः प्रकटीकरण/ प्रत्येक चरण में अनुबंध का काम करता है	यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार-> आरटीआई अधिनियम के तहत हैंड बुक पर देखी जा सकती है। -> मद संख्या 4 (ख) (xix-क) में उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण।
ख) पीपीपी अनुबंधों/रियायत समझौते, डीपीआर ओ एवं एम के अधिक स्वतः प्रकटीकरण नियमावली और अन्य दस्तावेज	यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार-> आरटीआई अधिनियम के तहत हैंड बुक पर देखी जा सकती है। -> मद संख्या 4 (ख) (xix-ख) में उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण।
ग) अधिक स्वतः संज्ञान यह जानकारी आरईसी वेबसाइट पर देखी जा सकती है विभिन्न कर्मचारियों के	यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार-> आरटीआई अधिनियम के तहत हैंड बुक पर देखी जा सकती है। -> मद संख्या 4 (ख) (xix-ग) में उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण।

ग्रेड / संवर्ग के लिए स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश	
घ) प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों और उनके प्रत्युत्तरों के अधिक स्वत: प्रकटीकरण;	यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार-> आरटीआई अधिनियम के तहत हैंड बुक पर देखी जा सकती है। -> मद संख्या 4 (ख) (xix-घ) में उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण।
ड.) सीएजी और पीएसी और एटीआर के अधिक स्वतः प्रकटीकरण	यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार-> आरटीआई अधिनियम के तहत हैंड बुक पर देखी जा सकती है। -> मद संख्या 4 (ख) (xix-ड.) में उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण।
च) राज्य को विवेकाधीन / गैर-विवेकाधीन ग्रैंड आवंटन के अधिक स्वतः प्रकटीकरण सरकार/गैर-सरकारी संगठन/अन्य संस्थान आदि।	यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार -> हैंड बुक पर आरटीआई अधिनियम के तहत देखी जा सकती है। -> मद संख्या 4 (ख) (xix-च) में उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण
छ) के विवरण के अधिक स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण का विदेशी और घरेलू दौरा सीएमडी	यह जानकारी आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in -> सूचना का अधिकार - आरटीआई अधिनियम के तहत > हैंड बुक पर देखी जा सकती है। -> मद संख्या 4 (ख) (xix-ज) में उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण